भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 4105

उत्तर देने की तारीख-18/08/2025

शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों में रिक्तियां

4105. श्री सुधाकर सिंह:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा निर्धारित मानक क्या हैं और देश में शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों में नियोजित शिक्षकों का स्वीकृत पदों की तुलना में राज्यवार औसत अनुपात क्या है;
(ख) क्या देशभर में विशेषकर बिहार में शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों (टीचर ट्रेनिंग कॉलेज) में असिस्टेंट प्रोफेसरों और प्रोफेसरों की वास्तविक संख्या से स्वीकृत पदों की संख्या कम है;
(ग) क्या शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों (टीचर ट्रेनिंग कॉलेज) में शिक्षकों की भारी कमी के कारण प्रशिक्षित शिक्षकों की शैक्षणिक गुणवत्ता और दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;
(घ) क्या सरकार का देश में विशेषकर बिहार राज्य में सभी शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों (टीचर ट्रेनिंग कॉलेज) में रिक्त पदों पर सहायक प्रोफेसरों और प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए कोई ठोस और समयबद्ध योजना बनाने का विचार है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी नियुक्तियां कब तक कर दी जाएंगी?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने देश भर में अध्यापक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) द्वारा प्रदत्त विभिन्न पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने के लिए मानदंड और मानक निर्धारित किए हैं। इन संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए पर्याप्त शैक्षणिक संकाय का प्रावधान पूर्वापेक्षाओं में से एक है। एनसीटीई यह पता लगाने के उद्देश्य से कि क्या मान्यता प्राप्त संस्थान मानदंडों के अनुसार कार्य कर रहे हैं, जिसमें संकाय की उचित संख्या बनाए रखना

भी शामिल है। एनसीटीई अधिनियम, 1993 के तहत संस्थानों का निरीक्षण करता है। एनसीटीई अधिनियम, 1993 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाली मान्यता प्राप्त किसी संस्था की मान्यता रद्द की जा सकती है। एनसीटीई विनियम निम्नलिखित लिंक पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं: - https://ncte.gov.in/ncte_new/page/act-and-regulation.

देश में शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों में से अधिकांश ट्रस्ट/पंजीकृत सोसायटी/निजी संस्थाओं आदि के रूप में स्थापित हैं।

केंद्र सरकार, समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को देश के सभी 613 कार्यात्मक डीआईईटी का डीआईईटी सीओई पहल के तहत चरणबद्ध तरीके से जीवंत उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में वास्तविक उन्नयन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मौजूदा एनसीटीई मानकों के अनुसार नियुक्त नियमित और अर्हता प्राप्त शैक्षणिक संकाय की उपस्थिति, डीआईईटी सीओई पहल के तहत वास्तविक उन्नयन के लिए चुने जाने वाले डीआईईटी के लिए एक प्रमुख मानदंड और पात्रता निर्धारक है।

*****